संख्या–498/36-2-16

संख्या–
/छत्तीस-2-1 दिनांक.........
सचिव,
उ०प्र०भ०सन्नि०क०क०बोर्ड, लखनऊ।
मुलरूप में इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित।
कृपया प्रकरण में नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही/प्रभावी पैरवी निर्धारित समयान्तर्गत करने का कष्ट करें। यदि शासन से किसी मार्गदर्शन/निर्देश की अपेक्षा है तो कृपया सुसंगत अभिलेखों सहित स्पष्ट प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
अनुभाग अधिकारी,
श्रम अनुभाग-2

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–369 / 9–9–2016–165ज. / 13

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त नगर आयुक्त,
नगर निगम
उत्तर प्रदेश।

3–प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 जल निगम,

4– निदेशक,
सी.एण्ड डी.एस.
उ0प्र0 जल निगम,

सं0 1639 /PS–श्रम / 15–16
दिनांक 9-3-16

नगर विकास अनुभाग–9

लखनऊ दिनांक 03 ~~फ़रवरी~~ मार्च, 2016

विषय– भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यो पर निर्माण लागत का 01 प्रतिशत देय उपकर उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार द्वारा अधिनियमित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर अधिनियम, 1996 अतिमहत्वपूर्ण एवं प्रासंगित श्रम अधिनियम है। उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के दिशा निर्देशन एव पर्यवेक्षण में उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत निर्माण अधिष्ठानों से कुल निर्माण लागत का 01 प्रतिशत की दर से उपकर की वसूली निर्माण श्रमिकों के हितार्थ कल्याणकारी योजनाओं के संचालन जैसे महत्वपूर्ण कार्य सम्पादित कराये जा रहे है। इन कार्यो की प्रगति की समीक्षा मा0 उच्च न्यायायलय द्वारा रिट याचिका सं0 सी0डब्लू0पी0 318/2006, (नेशनल कम्पेन कमेटी बनाम भारत सरकार एवं अन्य) में की जा रही है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस रिट याचिका में समय–समय पर विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत करते हुए अन्य कार्यवाहियों के साथ–साथ निर्माण श्रमिकों के पंजीयन तथा नियमानुसार निर्माण अधिष्ठानों से 01 प्रतिशत की दर से उपकर वूसली प्रभावी तौर से किये जाने के आदेश पारित किये गये है, जो निम्नवत् है:–

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत सभी निर्माण कार्यो पर (व्यक्तिगत भवनों को छोडकर जिनकी कुल लागत रू0 10 लाख से कम है) निर्माण लागत का 01 प्रतिशत उपकर देय है।
2. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली 1998 के नियम–3 के अनुसार लागत का तात्पर्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण के निर्माण में लगने वाले

(डा0 अनिता भटनागर जैन)
प्रमुख सचिव,
श्रम विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

(योगेश कुमार)
विशेष सचिव
श्रम विभाग
उ० प्र० शासन।

go-v

सम्पूर्ण व्यय से है, परन्तु इसमें जमीन की कीमत तथा कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अन्तर्गत भुगतान की गयी अथवा भुगतान की जाने वाली क्षतिपूर्ति सम्मिलित नही है।

3. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियमावली 1996 के नियम–4(4) में यह व्यवस्था दी गयी है, जिन निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है वहॉ पूर्वानुमति के आवेदन के साथ देय उपकर की धनराशि का बैंक ड्राफट जमा किया जाना अनिवार्य है।

2. यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि अधिकांश नगर निगमों द्वारा प्रस्तर–3 के अनुसार मानचित्र अनुमोदन के पूर्व आगणित निमार्ण लागत 01 प्रतिशत अग्रिम उपकर की धनराशि वसूल कर उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण के खाते में जमा नही की जा रही है। जबकि इसकी मासिक समीक्षा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य रूप से की जा रही है।

कृपया प्रकरण में प्रस्तर–2 व 3 के अनुसार उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पक्ष में नियमानुसार धनराशि ड्राफट के माध्यम से जमा किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

01/3/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या–7307, दिनांक 19.02.16 के कम में।
2– अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत (द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ)।
3– गार्ड फाइल / वेब मास्टर को वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।